प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष
एंव
निर्भीक

साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 27 – 04 जुलाई 2016 मूल्य पांच रूपए

धूमल–नड्डा की प्रतिस्पर्धा में भाजपा होगी दांव पर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश का अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी यह सवाल नड्डा के उस ब्यान के बाद चर्चा का विषय बना है जब उन्होने प्रदेश की राजनीति में वापिस आने के संकेत दिये है। नड्डा के ब्यान पर

धूमल और अनुराग की प्रतिक्रियाओं ने भी इस सवाल को और हवा दी है। इस परिदृश्य में यदि भाजपा का आकलन किया जाये तो जो तस्वीर उभरती है उसमें भाजपा के लिये अगला चुनाव बहुत आसान नजर नही आता है। क्योंकि धूमल के दोनों कार्यकालों में जिस तरह से वीरभद्र को घेरा गया उसमें भले ही वीरभद्र का कोई ठोस नुकसान नही हो पाया हो लेकिन वीरभद्र धूमल और उसकी सरकार का कोई नुकसान नही कर पाये। हांलाकि धूमल के पहले कार्यकाल में सरकार पंडित सुखराम की बैसाखीयों के सहारे सत्ता में आयी जबकि सुखराम एक बार स्वयं भी मुख्यमन्त्री बनने की इच्छा पाले हुए थे। बल्कि एक बार तो भाजपा के शान्ता समर्थकों ने विधानसभा सत्र का वायकट करके अपने मनसूबे जग जाहिर भी कर दिये थे।

धूमल उस समय न केवल उस राजनीतिक संकट से ही निकले बल्कि हिमाचल विकास कांग्रेस को ही अपना बोरिया–बिस्तर समेटने तक पहुंचा दिया। दूसरे कार्यकाल में वीरभद्र को सीडी के संकट में ऐसा लेपटा कि वीरभद्र केन्द्र में मन्त्री होकर भी धूमल और उनकी सरकार का कुछ नही बिगाड़ पाये। वीरभद्र धूमल के दोनो कार्यकालों में मिले जख्मों की टीस से आज तक कटाहते हैं । इन्ही जख्मों के दंश से यह आशंका थी कि वीरभद्र इस बार हर हालात में धूमल से हिसाब किताब बराबर करने का प्रयास करेंगे। वीरभद्र ने इस दिशा में प्रयास भी किये । एपपीसीए को लेकर मामले बनाये। धूमल की संपत्तियों पर डिप्टी एडवोकेट जनरल का पद देकर शिकायत तक हासिल की। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी धूमल ने ऐसी व्यूह रचना की जिसके आगे वीरभद्र पूरी तरह परस्त हो गये। बल्कि हिमाचल ऑन सेल के जिस आरोप को चुनावों में बड़े ब्रहमास्त्र के रूप में प्रयोग किया उसका एक मामला तक नही बन पाया। इस तरह धूमल ने वीरभद्र के इस शासन काल में वीरभद्र को उसी के हथियारों से मात दी उसे धूमल की सफलता ही माना जायेगा।

लेकिन इसी गणित में वीरभद्र भी भाजपा पर भारी पडे हैं। क्योंकि नम्बर, दिसम्बर 2010 में जिस तरह इस्पात उद्योग समूह पर हुई छापेमारी में मिली डायरी के खुलासों का बढाकर धूमल परिवार ने आज उसे सीबीआई और ईडी की जांच तक तो भले ही पहुंचा दिया है लेकिन वीरभद्र को सत्ता से बेदखल करने में सफल नही हो पाये है। धूमल की प्रदेश में समय पूर्व चुनाव होने की सारी भविष्य वाणियां हवा–हवाई ही साबित हुई हैं हालांकि इन जांचो को लेकर वीरभद्र धूमल जेटली और अनुराग को बराबर कोसते आ रहे है। वीरभद्र के खिलाफ चल रहे इन मामलों को अन्तिम अंजाम तक पहुंचाना एक तरह से केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है आज केन्द्र में भाजपा के नड्डा एक बडे और प्रभावी मंत्री है। शान्ता भले ही मंत्री नहीं है लेकिन केन्द्र में उनका अपना प्रभाव है। लेकिन यह एक संयोग ही है कि प्रदेश के तीन सासंद शांता, कश्यप और रामस्वरूप शर्मा वीरभद्र के मामलें में लगातार खामोशी ही अपनाये हुए है। जबकि अनुराग सीबीआई पर धीमा होने का आरोप लगा चुके हैं ऐसे में भाजपा के अन्दर वीरभद्र के प्रति नरम अपनाना भी भाजपा और कांग्रेस को एक बराबर धरातल पर ला कर खडा कर देगा। क्योंकि धूमल के शासन कालों भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ सौंपे आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नही हो पायी है।

बल्कि संभवत: इसी प्रतिस्पर्धा के चलते आज भाजपा वीरभद्र के खिलाफ कुछ बड़ा नही कर पा रही है। जिस भाजपा ने ईडी के स्थानीय सहायक निदेशक द्वारा मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव को एक शिकायत की जांच के संद्धर्भ बुलाये जाने पर हुए पत्रचार पर विधानसभा सत्र नही चलने दिया था वही भाजपा मुख्यमन्त्री की सीबीआई में हुई पन्द्रह घन्टो की पुछताछ के बावजूद खामोश बैठी है। अब भाजपा ने फिर सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की बात की है। इस

आरोप पत्र में कितनी आक्रमकता रहेगी यह तो इसके आने पर पर ही पता चलेगा । लेकिन अपेन आरोप पत्रों के आरोपों को प्रमाणित करने के लिये क्या भाजपा अदालत तक जाने का साहस करेगी? पूर्व की परम्परा को देखते हुए उसकी उम्मीद कम है बल्कि भाजपा और कांग्रेस में आपसी सहमती केवल भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही सामने आती है। क्योंकि दोनो ने सत्ता में आने पर ऐसे आरोप पत्रों को रद्दी की टोकरी में डालने से अधिक कुछ नही किया है। ऐसे में क्या जनता भाजपा द्वारा लाये जा रहे आरोप पत्र को गंभीरता से लेगी इसको लेकर सन्देह हैं बल्कि रस्मी आरोप पत्रों की संस्कृति इन पर भारी पड सकती है। इस पृष्ठभूमि में धूमल–नडडा के खेमों मे बंटती भाजपा के लिये भविष्य कोई बहुत सुरक्षित नही कहा जा सकता।

वीरभद्र के खिलाफ सीबीआई का चालान कभी भी

शिमला/शैल। आय से अधिक संपति मामलें में सीबी आई की जांच झेल रहे मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ऐजैन्सी कभी भी अदालत में चालान दायर कर सकती हैं कि स्थित आ गयी है। क्योंकि इस मामलें में नामजद वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, आनन्द चौहान और चुन्नी लाल से सीबीआई पूछताछ का सिलसिला पूरा कर चुकी है। इन चारों के अतिरिक्त विक्रमादित्य सिंह और अपराजिता कुमारी से बतौर गवाह पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह की गिरफ्तारी पर जो रोक हिमाचल हाईकोट ने लगाई थी वह दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रकरण स्थानान्तरित होने के वाबजूद भी यथा स्थित जारी है। आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने भी हिमाचल उच्च न्यायालय में एक याचिका डालकर वीरभद्र प्रतिभा सिंह की तर्ज पर ही राहत की गुहार लगाई थी। लेकिन जब इस याचिका की हिमाचल उच्च न्यायालय में मेनटेनेविलिटि का प्रश्न आया तब यह याचिका वापिस ले ली गयी। इसके बाद आनन्द चौहान और चुन्नी लाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसी याचिका नही डाली है। इसी तर्ज पर विक्रमादित्य और अपराजिता ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अपनी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगायी थी। इस याचिका पर सीबीआई ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया था कि इन्हें बतौर अभियुक्त नही बल्कि बौर गवाह बुलाया गया है और ऐसे में इनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना नही है।

इस तरह इस मामले की जांच की प्रक्रिया लगभग पुरी हो चकी है। लेकिन इसका चालान अदालत में डालने के लिये भी अदालत की अनुमति वांच्छित है क्योंकि उच्च न्यायालय में याचिका में डाल दी है। जिसकी सुनवाई तीन जुलाई को होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद इस मामले में जुलाई में ही चालान अदालत में पंहुच जायेगा और उसके बाद इसमें आरोप तय होने की स्थिति आ जायेगी। लेकिन कुछ हल्को में यह भी चर्चा है कि जैसे ही अदालत इस चालान का संज्ञान लेगी तभी वीरभद्र इस संज्ञान को उच्च न्यायालय में चुनौती देकर आरोप तय होने को कुछ समय के लिये और टालने में सफल हो जायेगें। परन्तु कुछ का यह भी मानना है कि इस पूरे मामले को मोटे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय पहले देख चुके है। इसी कारण अब इस मामले का और लटकना संभव नहीं होगा।

दूसरी ओर सीबीआई और ईडी सूत्रों के मुताबिक सीबीआई का चालान अदालत में पहुचने के बाद ईडी में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। ईडी पहल ही इस प्रकरण में वीरभद्र, प्रतिभा सिह विक्रमादात्यि और अपराजिता की करीब आठ करोड की चल अचल संपति अटैच कर चुकी है ईडी में वीरभद्र और प्रतिभा सिह अभी तक एक भी बार पेश नही हुए हैं। केवल एक बार अपने वकील के माध्यम से कुछ दस्तावेज भेजे थे ईडी ने जो संपति अटैच की है उसका आधार आनन्द चौहान के खातों में कैश जमा होना इसके लिये चुन्नी लाल मेघराज शर्मा और कनुप्रिया राठौर का सहयोग लिया जाना तथा इस कैश से एलआईसी की पालिसीयां लेना और पालिसीयों को भुनाकर अचल संपति में निवेश करना रहा है लेकिन इस पैसे के अतिरिक्त वीरभद्र परिवार के पास वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से भी पैसा आया है इस पैसे को वक्कामुल्ला से आये पैसे को लेकर अभी तक जांच चल रही है क्या वक्कामुल्ला के पास इतना ऋण देने केअपने साधन थे? या यह पैसा भी वीरभद्र का अपना ही पैसा था जिसे निवेश में लाने के लिये वक्कामुल्ला को साधन बनाया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक वक्कामुल्ला के पास अपने इतने साधन नही थे। अब ईडी इस पक्ष की खोज कर रही है कि क्या इसके लिये अकेले वक्कामुल्ला का ही प्रयोग हुआ है या इसमें चुन्नी लाल और मेघराज शर्मा की तरह और लोग भी शामिल रहे है। यदि सत्रों की माने तो ईडी ने इस संद्धर्भ में करीब एक दर्जन लोगों को चिन्हित कर रखा है और अब उनसे पूछताछ का दौर शुरू होगा। जानकारों के मुताबिक ईडी का मामला सीबीआई से ज्यादा गंभीर और इसमें कई अप्रत्याशित खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते है।

अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसरों (कॉलेज कैडर) के 244 पदों को भरने की स्वीकृति

शिमला/शैल। मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट घोषणा के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों एवं स्टाफ के मानदेय की दरों में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य क्रमश: 3500 रुपये व 3000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 663 से अधिक तकनीकी सहायकों को दिहाड़ीदारों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अनुबध आधार पर छ: वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सहायकों का पदनाम पंचायत सचिव (अनुबंध आधार) करने को भी स्वीकृति दी गई। जिला परिषद कैडर के 31 मार्च, 2016 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 165 अनुबंध पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एसपीवी के सृजन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने एवं मिशन क्रियान्वयन में स्वतंत्र संचालन एवं स्वायतता सुनिश्चित करना है।

एसपीवी परियोजनाओं का अनुमोदन एवं स्वीकृत करेगी तथा स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगी और संसाधनों का उचित इस्तेमाल करेगी। मुख्य नीति निर्णय लेने के लिए कांगड़ा के मण्डलायुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में एसपीवी की एक शासकीय निकाय होगी। इसमें महापौर, उप महापौर तथा अन्यों के अतिरिक्त भारत सरकार से एक नामित सदस्य भी होगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शहरी स्तर पर एसपीवी एक सीमित कम्पनी होगी, जिसमें राज्य तथा यूएलबी 50:50 के अनुपात में इक्विटी शेयर सहित इसके संरक्षक होंगे।

मंत्रिमण्डल ने समझौते की शर्तों को मानते हुए मण्डी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राज्य सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया। सरकार पांच किस्तों में 285.83 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त शेष देनदारी को अदा करेगी।

बैठक में किन्नौर जिले के यंगपा-दो में स्वास्थ्य उप केन्द्र तथा छितकुल व निगुलसेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

सिरमौर जिले के गांव दियोठी-मझगांव और गांव ताली भुज्जल में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा सोलन जिले के चनाल माजरा में एचएससी खोलने को भी मंत्रिमण्डल ने मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के मझीण में अनुबध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित नया राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। मण्डी जिले के कोटली में भी राजकीय महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में शिमला जिला के रंसार (जांगला) में नया खण्ड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। कुल्लू के फलियाणी तथा बंजार के रोपा गांव में नए प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने विभागाध्यक्ष (सीसीडीसी) के पदनाम को उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा) करने, तकनीकी शिक्षा उप निदेशक के एक पद का सृजन तथा अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पदों का सृजन एवं इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।

कांगड़ा जिले के बाला खरोट (परौर) में होटल प्रबन्धन एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसरों (कॉलेज कैडर) के 244 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य के सभी कॉलेजों में संगीत अध्यापकों के पद सृजन को भी मंजूरी दी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सुपरवाइजरों के 159 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के 24 पद तथा आउटसोर्स आधार पर डाटा एंट्री आप्रेटरों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई। हि.प्र. विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

हि.प्र. सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के 10 पद सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।

विभिन्न विभागों में पात्र आशुटंकको में से सेकंडमेंट आधार पर जूनियर स्केल स्टैनोग्राफरों के 8 रिक्त पदों को भरने को स्वीकृति दी गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जिला समन्वयक के 12 पदों तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के भी 12 पदों के आउटसोर्स आधार पर सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई।

बैठक में उद्योग विभाग के रेशम पालन विंग में दिहाड़ी पर माली बेलदार के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमण्डल ने मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की मंजूरी दी। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबध आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के छ: पदों तथा एक डार्क रूम अटेंडेंट के पद को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राज्य सतर्कता एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में दिहाड़ी पर चालकों के छ: रिक्त पद भरने को मंजूरी प्रदान की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसील कल्याण अधिकारियों के चार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। हिप्पा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पद भरने की भी बैठक में मंजूरी दी गई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पद तथा चालक का एक पद भरने को भी मंजूरी दी गई। लोकल एकाउंट एवं ऑडिट विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने की भी बैठक में स्वीकृति दी गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी में सहायक प्रोग्रामर (आईटी) का एक पद सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद तथा अंशकालीन सफाई कर्मचारी के नो पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जेल एवं कोरेक्शनल सेवाएं विभाग में उप पुलिस महानिरीक्षक का एक पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान/टॉक्सीकॉलोजी मण्डल) का एक पद भरने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दी। सुन्दरनगर स्थित विशेष क्षमता वाले बच्चों के संस्थान में क्राफ्ट अध्यापक का एक रिक्त पद भरने को मंजूरी दी। हि.प्र. राज्य महिला आयोग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का एक पद भरने की भी बैठक में स्वीकृति दी गई। महाधिवक्ता के कार्यालय में वाहन चालक का एक पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर के कार्यालय में जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर का एक पद भरने को भी मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हि.प्र. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई, जो बोनस अधिनियम 2014-15 के अन्तर्गत नहीं आए।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के उप-मोहाल बाग में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सतर्कता ब्यूरो (आईबी) के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिले के कंडा में राजकीय पॉलीटैक्निक बनीखेत का नाम बदलकर राजीव गांधी राजकीय पॉलीटैक्निक बनीखेत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले के साच (पांगी) में उप-तहसील खोलने तथा सिहूंता में उप-तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में आउटसोर्स आधार पर सफाई सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, आउटसोर्स आधार पर दो मेट की सेवाएं लेने की भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला की हिस्सेदारी पूंजी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने तथा ब्लॉक सरकार गारंटी को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में शौर्य पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने तीर्थन नदी, उसकी सहायक नदियों व उप सहायक नदियों पर स्थापित होने वाली लघु जल विद्युत परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया।

बैठक में सोलन जिले के नालागढ़ (दिरोंवाल) में उप-जेल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के मण्डली में बीहरू कलां में उप-तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में नूरपूर में नियमित पशु औषधालय खोलने व इसके लिए अनुबन्ध आधार पर पद सृजित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उपमण्डल पशु अस्पताल मथोली में स्थानांतरित हो गया है।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के नियाल और सिखनारा गांवों में स्टाफ सहित नियमित पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिले के सुहानी, बलुगालवा, रजीयाणा तथा मण्डी जिले के दरंग में तरयामबली के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ओगली तथा सनोट गांवों में नए पशु औषधालय खोलने तथा शिमला जिले के खलग, दाड़गी और मडावग के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश रीवर राफटिंग नियम, 2005 के संशाधन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम, 1973 के नियम 10 (1) के अन्तर्गत अनुबंध-3 और नियम 10 (3) के अन्तर्गत अनुबंध-5 की धारा (सी) के संशाधन की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कौशल उन्नयन के जॉब/आऊट सोर्सिंग गारन्टी (एसयूजेओजी) योजना में संशाधन करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on from 6&8 herby invited by the Executive Engineer Kullu Division No. I HP PWD Kullu on behalf of Governor of HP from the eligible enlisted in HP, PWD for the followings works so as to reach in this office on or before 18.07.2016 upto 3:00 PM and the tender will be opened on the same day at 3:00 P.M. in the presence of intending contractor of their authorized representatives. The tender forms can be had from this office against cash payment (non-refundable) up to on 16.07.2016 .3:00P.M.

The Earnest Money in the shape of National Certificate /Time deposit /saving Account in any of the post office /saving Bank Account of Nationalized Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Kullu Division No. HP PWD Kullu must accompany each tender conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of tender shall remain open for 90 days from the date of opening. The undersigned reserves the right to reject any or all the tender without assigning any reasons.

All the contractors will have to bring with them the terms and condition of form No. 6&8 Contractors should be registered under HP, Sales Tax Act, 1968.

Sr. No.	description of Item	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Cost of From
1.	ARMO Type III Qtr 4 Nos at Mech work shop at Shamshi (SH: Painting and Distempering and out and other minio repair works Kullu side	100416/-	2000/-	One Month	350/-
2.	ARMO Type III Qtr 8 Nos at Mech work shop at Shamshi (SH:- Replacement of slate roofing in CGI Sheet Roofing.	207098/-	4200/-	Two Months	350/-
3.	RR/D caused by laying of OFC By Bharti Air tel on Sanik Chowk Bhunter to Ramshilla Km 0/0 to 7/00 (SH:- P/L Grating over drain in km 0/0 to 0/410 hill side and repair valley side (Airtel Deposit)	584916/-	12000/-	Two Months	350/-
4.	RR/D caused by laying of OFC By Bharti Airtel on Sanik Chowk Bhunter to Ramshilla Km 0/0 to 7/00 (SH:- Repair of Drain at various reaches (Airtel Deposit)	176704/-	3600/-	One Months	350/-
5.	RR/D caused by laying of OFC By Bharti Air tel on Sanik Chowk Bhunter to Ramshilla Km 0/0 to 7/00 (SH:- Const. of both side Wing Wall of culvert at RD 6/703 (Airtel Deposit)	269629/-	5400/-	Two Months	350/-
6.	RR/D caused by laying of OFC By Bharti Air tel on Sanik Chowk Bhunter to Ramshilla Km 0/0 to 7/00 (SH:- Pro. U-shape drain from Manikaran Chowk to Sabji Mandi Chowk (Airtel Deposit)	164337/-	3700/-	One Month.	350/-
7.	Const. of Road from Pargana to village Falahoon Ghat Khanyargi up to Bhallan BUS Stand km 3/0 to 10/0 under Lada Deposit (SH:- F/C Km 9/150 to 9/300	293534/-	5900/-	Three Months	350/-
8.	Const. of Road from Pargana to village Falahoon Ghat Khanyargi up to Bhallan Bus Stand km 3/0 to 10/0 under Lada Deposit (SH:- F/C Km 9/300 to 9/450	293534/-	5900/-	Three Months	350/-

TERMS AND CONDITIONS:-
The contractors /Bidders must quote their permanents income Tax Number /Sale Tax number (TIN Number) on the tender along with the copy of the same be attached with the application . The contractor/ Firm should attach copy of registeted /Renewal with the application Contractor / Bidder are advised toi visit and examine the site where the work are to be carrying out and its Surrounding . The contractors/Bidders should quote his rates Both in figure and words. Where there is any discrepancy between the rates in figure and in words . The rates in words will be governed. Contractors/Bidders must inspect the site to ascertain /familiar the site condition accessibility etc. Before quoting the bid /tender. Conditional and telegraphic tenders shall not be accepted and rejected straightway. Tenders received after due date and time will be rejected. Executive Engineer reserves the right to reject or all tenders without assigning any reason.

Adv. No.-1184/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को 83वें जन्म दिन पर दी शुभकामनाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 83वें जन्म दिवस पर उनके निजी निवास 'हॉली लॉज' में उत्सवी माहौल दिखा, जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से परम्परागत वेश-भूषा पहने लोगों ने उन्हें जन्म दिन की बधाई दी और उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ

जीवन की कामना की। उनके जन्म दिन पर प्रातः काल से ही लोगों की भारी भीड़ हॉली लॉज में जुटनी आरम्भ हो गई थी और दोपहर तक यह सिलसिला चलता रहा।

मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, पुत्र एवं प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रातः ट्वीट कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकगण, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सेना एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को जन्म दिन पर मंगल कामनाएं दीं।

वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर संजौली में रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया और राज्य पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनारथा द्वारा इन्दिरा गांधी चिकित्सालय में आयोजित भंडारे में भी भाग लिया तथा लोगों को भोजन वितरित किया।

मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और स्वयं, प्रकृति के नियमों तथा सच्चाई में प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की जांच का डर नहीं है और अन्त में सच्चाई की जीत होगी। उनका कहना था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसियां जान-बूझकर जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह मानवता की सेवा में विश्वास रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का प्यार और विश्वास हमेशा उनके साथ बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका किसी के साथ व्यक्तिगत मतभेद अथवा विरोध नहीं है।

कांग्रेस पार्टी में उनके उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौड़ में जो भी शामिल होगा वह अपनी योग्यता के आधार पर आगे आएगा। उन्होंने कहा कि अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में उन्हें किसी भी बात का पश्चाताप नहीं है और वह प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत और नए जोश के साथ आरम्भ करते हैं।

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में खनिज संस्थान न्यास गठित करेगी

शिमला/शैल। खनन क्षेत्रों के प्रभावितों को सहायता एवं राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास गठित करने का निर्णय लिया है। यह न्यास न केवल प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य करेगा, बल्कि खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास एवं संरक्षण भी सुनिश्चित बनाएगा। इस न्यास के गठन से खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के कल्याण और

क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध होंगे।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 22 जून, 2016 को आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना करना है।

अग्निहोत्री ने कहा कि यह न्यास गैर-मुनाफे वाली संस्था होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त करेंगे और वन अरण्यपाल, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक, खनन अधिकारी और चार जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। न्यास की स्थापना खनन एवं खनिज संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-9, बी के अन्तर्गत की जाएगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ऐसे कुछ परिवार अथवा क्षेत्र हैं, जो खनन कार्य से प्रभावित हैं और उनका समुचित रूप से पुनर्वास आवश्यक है। ऐसे लोगों और क्षेत्रों के कल्याण एवं बेहतरी के लिए नियमों में प्रभावित परिवारों, विस्थापित परिवारों तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है, जो न्यास निधि के अन्तर्गत प्रमुख लाभार्थी होंगे। न्यास के पास आमदनी का स्थाई स्त्रोत होगा, जिसे प्रमुख खनिजों और लघु खनिजों के पट्टाधारकों से अलग-अलग दरों से वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूने का पत्थर प्रदेश का प्रमुख खनिज है, जबकि लघु खनिजों में रेत, बजरी और पत्थर आदि शामिल हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि चूना पत्थरों की खानों के लिए 12 जनवरी, 2015 के बाद दिए गए पट्टों पर प्रदान की जाने वाली 10 प्रतिशत रॉयल्टी को अतिरिक्त रूप से वसूल किया जाएगा, जिसे जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में जमा किया जाएगा। इस अवधि से पूर्व चूना खानों के लिए दिए गए पट्टे के मामले में न्यास निधि में 30 प्रतिशत रॉयल्टी जमा करवाई जाएगी। ये शुल्क सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी से अलग होंगे।

उन्होंने कहा कि लघु खनिजों के मामलों में भेजे जाने वाले खनिज पर 10 रुपये प्रति टन वसूल किए जाएंगे और न्यास के खाते में जमा होंगे। न्यास इस धन राशि को नियमों में परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करेगा और सीधे तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से कम धन राशि खर्च नहीं होगी।

अग्निहोत्री ने कहा कि न्यास निधि का 20 प्रतिशत तक हिस्सा परोक्ष रूप से प्रभावित लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देने के लिए किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत परिवार की महिला प्रमुख को वार्षिक अथवा मासिक आधार पर नगद राशि वितरित करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि शेष धन राशि को खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार जैसे पेयजल योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शौचालय निर्माण, वृद्धों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल, आजीविका के लिए दक्षता विकास, सिंचाई योजनाओं, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अथवा क्षेत्र की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में सुधार की दिशा में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जा सकेगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कार्यों की वार्षिक योजना प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति स्वीकृत करेगी। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ हो और समिति लेखा एवं व्यय का रिकार्ड भी रखेगी।

योग को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें:आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रातः राजभवन, शिमला में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में योग सत्र का शुभारम्भ किया।

इस मौके पर, राज्यपाल ने कहा कि निरोग व स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऋषियों की विद्या को जीवन का अंग बनाएं और योग को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें, जिससे हमारा जीवन निरोग व सुखमय बनें। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन परम्पराओं का हिस्सा रहा है और मौजूदा परिस्थितियों में नकारात्मक परिणाम को दूर रखने के लिए योग को जीवन में अपनाना आवश्यक है।

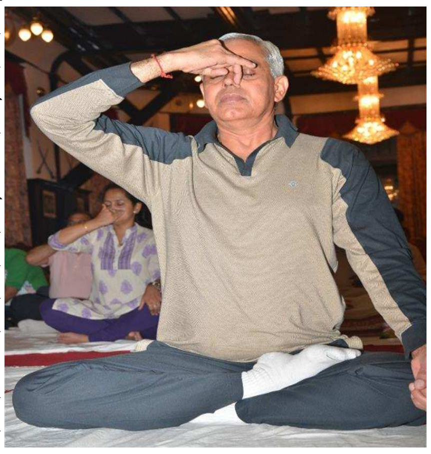

आचार्य देवव्रत ने कहा कि योग क्रियाएं प्रकृति से संबन्धित हैं और प्रकृति से जुड़ा कोई भी प्राणी रोग ग्रस्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रकृति से दूर रहकर मानव ने रोगों को स्वयं सहेजा है। उन्होंने लोगों से 'प्राकृतिक आहार' को अपनाने पर बल दिया।

योग प्रशिक्षक उर्मिला सिंह ने विभिन्न आसन व योग मुद्राओं की जानकारी दी और प्रशिक्षण करवाया।

इस अवसर पर जगत वर्मा ने भजन गायन किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष महाशय कपिल सूद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्यपाल के सचिव पुष्पेन्द्र राजपूत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए.डी.एन. बाजपेयी, रोटरी क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य, पत्रकार, राजभवन कर्मी तथा शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया।

अनुराग ठाकुर एवं हरभजन सिंह ने मनाया विश्व योग दिवस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सांसद एवं बीसीसीआई एवं एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ धर्मशाला के अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

सुबह 6.30 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमे युवा, गृहिणियाँ, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन, पतंजलि आयुर्वेद, आर्ट ऑफ लिविंग, भारत-तिब्बत सहयोग मंच के सदस्यों ने हिस्सा लिया।

इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि, मैं एचपीसीए को इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं। योग शरीर और मन के बीच सही संतुलन कायम करने में मदद करता है। मैं एक स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग अभ्यास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करूंगा। योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है।

हरभजन सिंह ने कहा, मैं एचपीसीए द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेकर काफी खुश हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से योग करने से काफी खुशी मिलती है। योग से मुझे और भी आनंद आया क्योकि यह इतना खूबसूरत स्टेडियम है और मेरे पसंदीदा स्टेडियम मे से है इसीलिए जब मुझे एचपीसीए से विश्व योग दिवस पर यहां योग करने का न्यौता मिला तो मैं इसे न नही कह पाया।

आकाशवाणी शिमला को उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धि पुरस्कार

शिमला/शैल। आकाशवाणी शिमला ने उत्तर अंचल ने लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियों के लिये वर्ष 2015-16 का उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त किया है। आकाशवाणी कि प्रसार भारती की राजस्व कार्यनीति व्यावसायिक इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को सम्मानित करने के लिये नई दिल्ली में राष्ट्र स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी शिमला ने विगत वर्षों के दौरान निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं, तथा अंचल में चालू वित्त वर्ष के दौरान भी अग्रणी रहा है। कार्यक्रम अधिकारी अनिल वर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवार सरकार ने की। प्रसार भारती कार्मिक सदस्य, प्रसार भारती वित्त सदस्य, आकाशवाणी के महानिदेशक, दूरदर्शन के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक द्ववाणिज्यत्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। यह कड़वा सच है.......चाणक्य

सम्पादकीय

एफ डी आई कुछ सवाल

केन्द्र सरकार ने पन्द्रह क्षेत्रों में एफ डी आई निवेष के मानदण्डो में संशोधन किया है। इस संशोधन से कई क्षेत्रों में सौ फीसदी विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया गया है। जिन क्षेत्रों में सौ फीसदी विदेशी निवेश को हरी झण्डी दी गई हैं उनमें टाऊनशिप, शापिंग काम्पलैक्स, व्यापारिक केन्द्रो का निर्माण, काफी रबर और कुक तेल, मैडिकल उपकरण रेवले, तथा एटीएम आप्रेशनज आदि शामिल है। गैर प्रवासी भारतीयों को फेमा के शडूयल चार में संशोधन चार में संशोधन करके खुले निवेश की सुविधा दे दी गयी हैं विकासात्मक निर्माण के क्षेत्र में एफ डी आई के तहत होने वाले निवेश में एरिया की न्यूतम और अधिकतम सीमाओं की बंदिश से भी छुट दे दी गई है। इसमें केवल 30% हाऊसिंग गरीब तबकों के लिये होनी चाहिये की ही शर्त रखी गई है। प्राईवेट सैक्टर के बैंको में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा कर दी गई हैं एफडी आई के तहत होने वाले उत्पादन को निर्माता सीधे सरकार की अनुमति के बिना ही थोक और खुदरा तथा ई–कार्मस के माध्यम से बेचने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे । इस तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कृषि पशुपानल आदि क्षेत्रों के लिये खोल दिया गया है। सौ फीसदी निवेश वाले क्षेत्रों में सरकार की स्वीकृति की भी आवश्यकता नही है। निवेशक के मानदण्डों में सशोंधन का प्रभाव आम आदमी पर क्या पडेगा इसका खुलासा तो आने दिनो में ही सामने आयेगा। लेकिन यह तय है कि जब निर्माताओं को थोक और खुदरा बिक्री ई कामर्स के माध्यम से दे दी गयी है तो इसकी सीधा प्रभाव हर क्षेत्र के छोटे और मध्यम स्तर के दुकानदार पर पेड़गा । क्योंकि इस क्षेत्र में कार्यरत दुकानदार और छोटा कारखानेदार विदेशी वस्तुओं की बराबरी नहीं कर पायेगा। एमजान और स्नैपडील को ई कामर्स को लेकर मध्यम स्तर का दुकानदार पहले ही चिन्ता जता चुका है। सरकार इस विदेशी निवेश के माध्यम से देश को निर्माण का केन्द्र बनाना चाहती है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढेगें ।

लेकिन इसी विदेशी निवेश को लेकर जब यूपीए सरकार ने पहल की थी तब भाजपा के वरिष्ठ नेता डाक्टर मुरली मनोहर जोशी और आज केन्द्रिय मन्त्री राजीव प्रताप रूडी इसके प्रखर आलोचकों के रूप में सामने आये थे। आज संघ से जुडा स्वदेशी जागरण मंच इस निवेश का विरोध कर रहा हैं यह विरोध अगर यूपीए के समय में जायज था तो आज भी यह उतना ही जायज और प्रासंगिक है। इस संद्धर्भ में कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते है क्योंकि जब से विदेशी निवेश के दारवाजे खूले है तब से मंहगाई और बेरोजगारी के आंकडे बढ़े हैं ऐसा क्यों हुआ है इसके कई अध्ययन सामने आ चुके है। मूल प्रश्न है कि हमें विदेशी निवेश आवश्यकता क्यों है? क्या देश के काले धन के विदेशों में पड़े होने के बड़े बड़े आंकडे आये थे। इस काले धन को वापिस लाकर प्रत्येक के बैंक खाते में पन्द्रह लाख आने के दावे किये गये थे जो पूरे नहीं हुए है और न ही हो सकेगें।

एफडीआई को लेकर यह भी आशंका जताई जा रही है कि इसके माध्यम से अपने ही कालेधन को निवेश के रूप में सामने लाया जायेगा।

यह आशंका कितनी सही हैं इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही सामने आयेगा। लेकिन आज हाऊसिग निमार्ण के सारे क्षेत्रों में शतप्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति दे दी गयी है। जबकि देश के अन्दर बिल्डर अब माफिया की शक्ल ले चुका है। इस बिल्डर माफिया को नियन्त्रित करने की सरकारों से मांग की जा रही है। लेकिन एफ डीआई के नाम पर आने वाले इन बिल्डरों को हर तरह की छूट का प्रावधान कर दिया गया है क्यों? सरकार निवेश के लिए पूंजी आमन्त्रित करना चाह रही है जो क्या इसका यह सरलतम तरीका नहीं हो सकता कि इस कथित काले धन को देश के अन्दर निवेश के रास्ते खोल दिये जाये। आज देश का लाखों करोड़ का काला धन विदेशों में पडा है उससे देश में किसी को कोई लाभ नही मिल रहा है। यदि इस काले धन पर से सारी बंदिशे हटाकर भयमुक्त करके सीधे निवेश के लिये आमन्त्रित कर लिया जाये तो पूंजी की सारी समस्या ही हल हो जाती है।

हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास के लिये 640 करोड़ की परियोजना

प्रदेश सरकार राज्य में कौशल विकास गतिविधियों एवं कौशल अधोसंरचना को विकसित एवं सुदृढ़ करने के प्रयास कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिये, राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये एशियन विकास बैंक बाह्य सहायता की 640 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार द्वारा 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिये कौशल विकास नीति 'हिम कौशल-2016' को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति राज्य की आर्थिक उन्नति को मजबूत करने तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कौशल की कमी को पूरा करने के लिये लक्षित समूहों के कौशल उन्ययन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल देती है।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की भी स्थापना की है जो कौशल विकास नीति एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये एक क्रियान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगी। निगम राष्ट्रीय मानकों के समरूप योग्यताओं, मानदण्डों, प्रशिक्षण उपकरणों, राज्य के लिये मान्यताओं की एकरूपता को हासिल करने के प्रयास करेगा।

प्रशिक्षण राजकीय विभागों एवं संस्थानों, निजी क्षेत्र तथा उद्योगों व औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय प्रशिक्षण एवं विपणन केन्द्र विकसित किए जाएंगे तथा इन्हें स्थानीय युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। ये केन्द्र एक-दूसरे के साथ हब एवं स्पोक मॉडल के तौर पर संचालित होंगे तथा इनकी निगरानी जिला कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से की जाएगी।

आईटीआई विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कालेजों में प्रवेश प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के एनसीवीटी द्वारा प्रदान किए जा रहे राष्ट्रीय व्यवसाय तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र की योग्यता में जमा दो स्तर तक समानता प्रदान की जाएगी।

विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 से नौवीं से 12वीं कक्षा तक ऑटोमोबाईल, परचून, सुरक्षा, सूचना प्रोद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा कृषि जैसे ट्रेडस् में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की गई है।

कृषि, बागवानी, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार, निर्माण, सूचना एवं प्रोद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। हि.प्र. कौशल विकास निगम स्थानीय स्तर पर कौशल अंतर, नई नौकरियों, अवसरों की संभावनाओं, नवीन तकनीकों को शुरू करने के तौर-तरीकों, निजी क्षेत्र के साथ अनुबन्ध, पायलट परियोजना को लागू करना तथा दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने की कार्यनीति का पता लगाएगा।

शिल्पकारों, बुनकरों तथा कलाकारों द्वारा पीढ़ियों से चलाए जा रहे स्थानीय कौशल पर विशेष बल दिया जाएगा। हिमाचली चित्रकला, मैटल क्राफ्ट, शॉल, दरियां, लकड़ी नक्काशी कला, कढ़ाई, जूते बनाना, चमड़ा शिल्प, कंबल व कालीन, ऊनी टोपियां, मफलर एवं बुने हुए वस्त्रों के प्रदर्शन, विपणन, सुधार, संचालन तथा वित्त पोषण के लिये मास्टर प्रशिक्षकों का सृजन, उद्यमिता एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा।

मौजूदा सभी रोजगार कार्यालयों को सलाह एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये मॉडल कैरियर केन्द्रों में स्तरोन्नत किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं पॉलीटैक्निक संस्थानों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का पता लगाने का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मांग आधारित एवं रोजगारोन्मुखी व्यावसायों को आरम्भ करने की योजना तैयार कर रही है, जिससे प्रति वर्ष इन संस्थानों में 2500 विद्यार्थियों का प्रवेश बढ़ेगा।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय असहजता के कारण कोई एक भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित न रहे। इन कार्यक्रमों की पहुंच राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी की रेखा से नीचे तथा ऊपर के 16 से 49 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिये होगी। आजीविका स्तर में सुधार लाने के लिये पांचवीं तथा 8वीं पास शिक्षण योग्यता के लोगों को भी सलाह एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

सरकार के दो वर्ष

सामाजिक सुरक्षा की नई सुबह

पूर्णिमा शर्मा

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सोगादा गांव को प्रकृति ने बहुत सुंदर बनाया है। यह गांव पहाड़ियों से घिरा है। लेकिन पहाड़ियों से घिरा होना इस गांव के लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी है। इस विषय में गांव की रोशनी बाई से पूछिए। इस गांव के सबसे पास का बैंक 15 किलोमीटर दूर है और इस वजह से यहां तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं थी। आजादी के बाद से सरकारें आती-जाती रहीं लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि रोशनी बाई को बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कैसे लाया जाए, ताकि खुद की तरक्की के साथ राष्ट्र निर्माण में वह भी अपना योगदान निभा सके।

रोशनीबाई और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी शायद इसी हाल में रहतीं, लेकिन इस बीच एक नया बदलाव आया। उसने देखा कि एक बैंक के लोग उसके गांव में आए हैं और बचत करने का मतलब समझा रहे हैं। यह एक नई सुबह थी। बैंक के लोगों ने गांव के लोगों को बैंक में खाता खोलने के फायदों के बारे में बताया। उन्हें यह भी समझाया गया कि उन्हें हर बात के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है। बैंक मित्र गांव में ही उन्हें ज्यादातर सुविधाएं देंगे। इसके बाद कोई वजह नहीं थी कि रोशनी बाई बैंक खाता न खोलतीं।

आज रोशनी बाई के खाते में नियमित बचत की वजह से अच्छी-खासी रकम है। अब वे हर महीने नियमित कुछ रुपए जमा करने की सोच रही हैं, ताकि इस बचत से वे अपने पति के लिए स्कूटर खरीद सकें।

रोशनी बाई और उनकी ही तरह के करोड़ों लोगों की जिंदगी में पहली बार बैंक आया है और यह बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री जन-धन योजना की वजह से। इस योजना के तहत खाते खुलवाने वालों में बड़ी संख्या में वे लोग हैं, जो अब तक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर थे। विश्व इतिहास में इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में समावेशित होने का यह पहला प्रयोग है। इस योजना में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के बैंकों का सहयोग लिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। वित्तीय समावेश के लिए लाई गई इस योजना का मकसद देश में हर घर को बैंक अकाउंट और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। जन धान योजना के तहत 21.87 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। इनमें 61% खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए और 52% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मई 2016 तक इन खातों में 37,775 करोड़ रुपये की राशि जमा हो चुकी है। अब सिर्फ 26.40% खाते ही जीरो बैलेंस के रह गए है। वहीं, 45.35% खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है, 17.99 करोड़ रूपये कार्ड जारी हो चुके हैं और 19.09 लाख खातों में ओवरड्रॉफ्ट सुविधा का लाभ लिया जा चुका है ।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गांव तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने की जगह परिवारों तक बैंकिंग को पहुंचाने पर जोर है। बैंकिंग सेवा के विस्तार में इससे पहले तक शहरों को यह मानकर छोड़ दिया जाता था कि वहां तो बैंक पहले से हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत शहरों में खुले लगभग साढ़े आठ करोड़ खातों से जाहिर होता है कि इसकी जरूरत शहरों में भी थी। इस योजना में बैंक लोगों तक पहुंचे। यह भी एक नया तरीका था। इसके अलावा इस योजना के तहत खुले खातों को आधार नंबर और मोबाइल से भी जोड़ा गया ताकि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के वित्तीय पहलू का जन- जन तक विस्तार हो सके और खाताधारकों को अपने खाते में आने या खाते से जाने वाले रकम की उसी समय जानकारी मिल जाए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना रोजगार सृजन की भी बड़ी योजना साबित हुई है। वित्तीय समावेशीकरण से आम लोगों के सबल बनने और उनके स्वरोजगार के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ने की बात तो है ही, सीधे तौर पर इस योजना की वजह से बैंकों ने 1.26 लाख से ज्यादा बैंक मित्रों को काम दिया है, जो बैंकिंग सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। बैंक मित्र कई मायनों में लोगों के लिए एटीएम भी हैं। वे लोगों का खाता खुलवाने से लेकर उन तक पैसा पहुंचाने और बीमा का क्लेम दिलाने तक में लोगों की मदद करते हैं। बैंक मित्र ग्रामीण इलाकों में बेहद लोकप्रिय हैं। यह जन-धन योजना का अप्रत्यक्ष लाभ है।

दरअसल प्रधानमंत्री जन-धन योजना एक शुरुआत है। इसका मकसद भारत में सामाजिक सुरक्षा को आम लोगों तक पहुंचाना है। भारत में आजादी के बाद से ही लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती रही है। लेकिन लोक कल्याण की योजनाएं जन-जन तक कैसे पहुंचे इस पर नहीं सोचा गया। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में सरकारी योजनाएं बनीं और फाइलों में कैद होकर रह गई। केंद्र और राज्य की राजधानियों से चलकर जो पैसा लोगों तक पहुंचना था, वह रास्ते में ही कहीं सूख जाता था। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का कारण भी यह व्यवस्था ही थी, जिसमें यह जांचने का प्रावधान नहीं था कि वास्तविक व्यक्ति तक लाभ पहुंचा या नहीं। एक पूर्व प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य बहुत चर्चित रहा कि योजनाओं पर होने वाले खर्च का 15 प्रतिशत हिस्सा ही नीचे तक पहुंचता है।

संविधान के अनुच्छेद 41 के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के मुताबिक रोजगार और शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के हालात में सहायता देने के लिए कारगर प्रावधान करे। चूंकि दिशा निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते इसलिए अब तक की सरकारें, नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को दर किनार करती रहीं।

ऐसे में योजनाओं को अमल में लाने के तरीकों में बुनियादी बदलाव की जरूरत थी। आजादी के बाद के छह दशकों का अनुभव यही बताता है कि सरकारी योजनाओं पर जोर देने से सामाजिक सुरक्षा का इच्छित लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। करोड़ों लोग बैंकिंग प्रणाली से बाहर रह गए थे। इसलिए इसमें खुद आम लोगों को शामिल करने की जरूरत थी, ताकि वे अपने भविष्य की इबारत खुद लिख सकें। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की जरूरत महसूस की गई। वर्तमान सरकार उस बदलाव पर ही काम कर रही है। और यह बदलाव तेजी से हो रहा है।

हमने आर्थिक प्रगति तो की लेकिन भारत अब तक आधारभूत जरूरतों को लेकर असुरक्षित समाज रहा है। या यूं कहें कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक असुरक्षा भी बढ़ती गई। समाज का एक बड़ा वर्ग आधारभूत जरूरतों को लेकर असुरक्षित जीवन जीता रहा है। खासकर दुर्घटना या मृत्यु के बाद परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा की बेहद सख्त जरूरत महसूस की जाती है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसे मौजूदा सरकार ने एक अहम जरूरत के तौर पर पहचाना है। सोशल-सिक्योरिटी की दिशा में लगातार मजबूत कदम उठाते हुए इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं।

पहले चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या बीमा लेना हो, आम नागरिक को किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, बैंक खातों के जरिए ही काम करेंगी। यानी इन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को बैंक खातों के जरिए मिलेगा। ऐसे में बिचौलिए के कोई गड़बड़ी करने की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है हर नागरिक को बैंक खातों से जोड़ना और बिचौलिए की भूमिका को पूरी तरह खत्म करना। बिचौलिए के अलावा समाज के निचले तबके को सूदखोरों से भी मुक्ति मिलेगी। सूदखोर लोगों की जरूरत भांपकर अनाप-शनाप ब्याज दरों पर लोगों को कर्ज देते हैं और लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने में इनकी बड़ी भूमिका है। बैंकिंग प्रणाली इनकी भूमिका को सीमित करती है और लोगों को इस तरह के शोषण से बचाती है।

समाज का एक ऐसा तबका जिसके पास साधन नहीं थे जो महज एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इधर-उधर दस चक्कर काटता था, आज उसके पास ताकत आ गई है। तकनीक, मोबाइल, आधार नंबर और बैंक खातों को जोड़ने से अब बिचौलिए उसका शोषण नहीं कर सकते। सरकार समाज कल्याण के लिए जो पैसा देती थी उसका बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते थे। समाज कल्याण योजनाएं अब तक लाभार्थी से ज्यादा बिचौलिए को लाभ पहुंचाती थीं जो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाता था। फर्जी नामों की लिस्ट देकर भी बिचौलिए सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जन-धन, आधार और मोबाइल से अब बिचौलिए की भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा में योगदान का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आएगा।

इतना ही नहीं बैंक खाता खुलवाने या बीमा लेने के लिए कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती थी। लेकिन अब महज एक आइडेंटिटी प्रूफ देने भर से बैंक में खाता खुल जाएगा और बैंकिंग और बीमा सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।

बैंक खातों के जरिए अब तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 9.43 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2.96 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी हो चुकी है।

इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मकसद गरीब वर्ग को बीमा सेवा मुहैया कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं में प्रीमियम राशि बेहद कम रखी गई है, ताकि देशभर में जहां अब तक ये सेवाएं नहीं पहुंचीं वहां पहुंचा जा सके। इन स्कीम्स को जन-धन योजना से जोड़ा गया है यानि बैंक अकाउंट के जरिए ही बीमा पॉलिसी ली जा सकती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना या किसी भी वजह से मृत्यु के जोखिम को कवर करती है। इसके तहत 18-50 साल तक की आयु वर्ग के सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को 2 लाख तक का कवर दिया जाता है। इस योजना के तहत 330 रुपये सालाना का प्रीमियम देना होता है। खाताधारक की मंजूरी के बाद प्रीमियम की रकम बैंक खाते से ही कटेगी। इस स्कीम के तहत 24,702 पॉलिसीधारकों के निर्भर परिवारों को क्लेम दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना से मृत्यु पर 2 लाख रुपये और विकलांगता पर एक लाख रुपये का कवर दिया जाएगा। 18-70 साल तक का कोई भी बैंक खाताधारक मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर पॉलिसी ले सकता है। एक साल की इस पॉलिसी को हर साल रिन्यू किया जा सकता है। स्कीम के तहत अब तक 3,730 क्लेमों का भुगतान हो चुका है और 27,193 लोगों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय मदद मिल चुकी है।

वहीं, अटल-पेंशन योजना हर भारतीय नागरिक बैंक खाताधारक के लिए उपलब्ध है। ये वद्धावस्था पेंशन योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित है। इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद पॉलिसी धारकों को 1,000-5,000 रुपये के बीच एक निश्चित पेंशन दी जाएगी है। पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी/पति को पेंशन दी जाएगी। दोनों की मृत्यु के बाद पेंशन की एकमुक्त राशि नॉमिनी को दी जाएगी। इसमें 31 दिसंबर, 2015 से पहले खोले गए नए खातों पर सरकार 5 साल तक लाभार्थी की प्रीमियम राशि का 50% (1,000 रुपये तक) का योगदान देगी। इस सरकारी योगदान का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए और न ही उसने कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम ली हो। कोई भी नागरिक 18-40 साल की उम्र के बीच इस बीमा योजना से जुड़ सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत अब तक लगभग 27 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इस स्कीम के लिए बजट में 2,520-10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान 5 साल की अवधि के लिए सरकारी योगदान हेतु किया गया है।

इन योजनाओं का समाज पर असर होने लगा है। राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को भी इन योजनाओं के अमल में हिस्सेदार बनाया गया है। गांवों से और शहरों से भी लगातार इन योजनाओं की कामयाबी की कहानियां आ रही हैं। इससे न सिर्फ लोग वित्तीय तौर पर सबल हुए हैं बल्कि उनकी जिंदगी तमाम तरीके से बदल रही है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वे स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और इससे रोजगार की सृजन हो रहा है। वे आर्थिक व्यवस्था में समावेशित हो रहे हैं। उनके जीवन से बिचौलिए और सूदखोर गायब हो रहे हैं। पैसा सीधे लोगों के एकाउंट में आने की वजह से भ्रष्टाचार घट रहा है। यही इन योजनाओं का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। लोग राष्ट्र निर्माण में पहले से ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की इस नई सुबह का दायरा बढ़ रहा है और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा के मामले में सरकार के लक्ष्य ऊंचे हैं। और इन सबके बीच, आत्मविश्वास से भरपूर सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। पसूका

FDI पर मोदी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला

शिमला/शैल। मोदी सरकार जिस रक्षा, सिविल एविएशन, फर्मास्यिूटिकल व सिंगल रिटेल में एफडीआई को सौ फीसद करने के अपने फैसले को लेकर देश में जश्न मनाने के मुड़ में हैं उसे देश हित के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को लागू करने के लिए संसद से फेमा अधिसूचना को पास न होने देने का बड़ा एलान किया है। इन क्षेत्रों में सौ फीसद एफडीआई कर देने के बाद मोदी सरकार को इसके लिए संसद से फेमा अधिसूचना को पास करना होगा तभी ये इन क्षेत्रों में सौ फीसद विदेशी निवेश का रास्ता खुलेगा।

कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता व हिमाचल से राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने शिमला में एलान किया कि कांग्रेस पार्टी इस अधिसूचना को संसद में पास नहीं होने देंगी। कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों को भी इस मामले में एकजुट करेगी ताके देशहित बचाए जा सके।

पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मोदी सरकार पर हमला करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि सिविल एविएशन व सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले से एफडीआई का प्रावधान था। लेकिन यूपीए सरकार ने देश हित व स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले उसके लिए 30 प्रतिशत लोकल डोमेस्टिक सोसर्सिंग की शर्त रखी थी। इसे मोदी सरकार ने हटा दिया है। मोदी सरकार को देश को इसका जवाब देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया।

इसी तरह रक्षा के क्षेत्र में 74 फीसद से उपर के विदेशी निवेश के लिए सरकार व सुरक्षा पर बनी केबिनेट कमेटी ऑन सिक्यूरिटी से मंजूरी लेने का प्रावधान था । इसे मोदी सरकार ने अब समाप्त कर दिया है। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के मामले को भी गायब कर दिया है। अब कोई भी हथियार व बाकी उपकरण अपना प्लेटफार्म तैयार कर बना सकता है लेकिन प्रौद्योगिकी उसके अपने देश में ही रहेगी। ये खतरनाक व चिंता का मसला है।

आनंद शर्मा ने कहा कि फार्मास्यिूटिकल में भारत दुनिया में अव्वल देशों में शुमार करता है। दुनिया की 25 फीसद दवाईयां भारत में बनती है। फर्मास्यिूटिकल क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर देश की जनता के स्वास्थ्य व बेहतर इलाज तक की पहुंच को खतरे में डाल दिया है। ग्रीन फील्ड में तो पहले से ही सौ फीसद एफडीआई थी लेकिन ब्राउनफील्ड में यूपीए सरकार ने शर्त लगा रखी थी। वो शर्ते सब हटा दी गई हैं। अब इस सेक्टर में होने वाले निवेश को लेकर जो एग्रीमेंट होगा उसमें नॉन कंपीट क्लॉज जोड़ दिया गया है। यानि के अगर कोई विदेशी कंपनी देशी कंपनी का विलय करती है या उसे अधिग्रहित करती है तो वो कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती। विदेशी कंपनी को एकाधिकार हो जाएगा।

ऐसे में एफडीआई के मसले पर मोदी सरकार के फैसले देशहित में किसी भी तरह से नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी इस एफडीआई को संसद से पारित नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने भी कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अमित शाह को अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा असलियत पर भारी है। निर्यात घटा है। 1947 से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है कि नेशनलइंवेस्टमेंट रेट नेशनल सेविंट रेट से नीचे गया हो। ग्रॉस केपिटल फार्मेशन नकारात्मक हुआ है। कृषि निर्यात बुरी तरह से गिरा है। दो करोड़ सालाना रोजगार देने का भरोसा दिया गया था लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेढ लाख के करीब लोगों को रोजगार मिला। विदेशी निवेश गिरा है।

बच्चों की बहादुरी पर राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 2016 के लिए बच्चों की वीरता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

भारतीय बाल कल्याण परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितम्बर है। पुरस्कार के लिए पहली जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 के बीच की घटनाओं पर विचार किया जाएगा, हालांकि चयन समिति अपने विवेक पर इस तिथि में अधिक से अधिक 3 माह की अवधि की छूट प्रदान कर सकती है।

उन्होंने कहा कि नामांकन निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदक द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य का 250 शब्दों में ब्यौरे सहित प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, जन्म तिथि का प्रमाण, समाचारों की कतरनें अथवा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या पुलिस स्टेशन में दर्ज पुलिस डायरी को भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की आयु घटना की तिथि को 6 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि उम्मीदवार के चयन के लिए बहादुरी का विशिष्ट एवं स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए, जिसमें चोट का खतरा अथवा जीवन का खतरा अथवा सामाजिक बुराई/अपराध के विरूद्ध साहस का प्रदर्शन शामिल हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि आवेदन की सिफारिश संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक अथवा पंचायत व जिला परिषद के अध्यक्ष, महासचिव, राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष, उपायुक्त अथवा इनके समकक्ष अधिकारी, क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक अथवा उच्च पद पर आसीन पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस से पूर्व प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति जैसी महान विभूतियों द्वारा भी बधाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता एक मेडल, प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार के अलावा, परोपकारी संगठनों से उपहार भी प्राप्त करेंगे। पात्र पुरस्कार कर्ताओं को स्कूल शिक्षा पूरा होने तक सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय बाल कल्याण परिषद छात्रवृति योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्यों को स्नातक की डिग्री पूर्ण होने तक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

सभी जातियों व हर वर्ग के नवयुवको, नवयुवतियों, विदूर, विधवा व तलाकशुदा को योग्य जीवनसाथी मिलाने में निरन्तर सफलता हासिल कर रही प्रदेश की एकमात्र विश्वसनीय समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित। "आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो" पालमपुर केवल दस वर्षों में 8000 से अधिक जोड़ियां मिलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है। हमारे पास हर प्रकार के रिश्ते उपलब्ध है। तथा उपलब्ध करवाये जाते है। जरूरतमन्द सम्पर्क करें:-

आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो

इन्द्रपुरी मार्किट नजदीक नया बस अड्डा पालमपुर
दूरभाष : 01894–230260 मोबाईल : 98163–22434

VAR - CHAHIYE

Suitable Match for Rajput Girl, 1990, 5'-5" BA Working H.P Police 0894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Rajput Girl, 1989, 5'-2" B.Tech (C.S.) working at Gurgaon. Rs.25,000/- Pm., 01894-23,260, 98163-22434.
Suitable Match for Rajput Girl, 1992, 5'-2" B.Sc (Nursing) 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Rajput Girl,1989, 5'-3" MBA (Mkt.) working at Delhi Rs.30,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Girl, 1992, 5'-1" B.Tech. working Hydrabad, Rs.4Lacs PA. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Rajput Girl, 1988, 5'-5" B.Com. Diploma in HRD. working at Gurgaon. Rs.4.2 Lacs PA. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brhmin Girl,1990, 5'-2" Diploma G.N.M. & Diploma DCA 01894-230260, 98163-22434.

VADHU - CHAHIYE

Suitable Match for Brahmin Boy ,1983, 5'-6" BA. Diploma H.M.3 Year's Diploma Auto Mobile working at Una. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy, 1986, 5'-3" BA. Electronics I.T.T working at Ludhiana Rs.15,000/- PM. 01894-230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy 1986, 5'-7" B.Tech (CSE) MBA working at Banglore Rs.5 lacs PA. 01894 230260, 98163-22434.
Suitable Match for Choudhary Boy, 1985, 5'-5½" B. Com.3 Years Course Architect, Working at Delhi Rs.40,000/- PM 01894 230260, 98163-22434.
Suitable Match for Mehra Boy, 1983, 5'-8", BA working at Abudabi, Rs.80,000/- PM. 01894 230260, 98163-22434.
11297. Suitable Match for Brahmin Boy 1988, 5'-9", BA. working Own Business, Rs. 15 to17 Lacs PA. 01894 230260, 98163-22434.
Suitable Match for Brahmin Boy, 1985, 5'-11", CCNA Doing MCA working as I.T. Com. At Noida Rs.25,000/- PM. 01894 230260, 98163-22434.

Himachal Pradesh Mid Himalayan Watershed Development Project

Features

Word Bank assisted Integrated multi sectoral, gender sensitive, participatory watershed development Project with bottom-up planning being implemented in the Mid Hills and the High hills zone of H P w.e.f. 1st October, 2005 with the objective to reverse the process of degradation of the natural resource base and improve the productive potential of natural resources and incomes of the rural households in the project area.

Project Impacts

Institutional Strengthening

- 18 GPs awarded with State level Model Gram Panchayat Award & 66 GPs awarded with Divisional level Model Gram Panchayat Awards.
- 4932 established User Groups (UGs) formed for managing resources created by Project in a sustainable manner.
- 5066 workshops, 1761 Trainings, 774 Exposure visits organized under Community Capacity building activity.
- 1879 workshops, 280 Trainings, 134 Exposure visits & 9 International Trainings organized under Human Resource Development.

Non Arable Land:

- Treated 70% of available areas of non arable land with Forestry plantations and drainage line treatment.
- 62.47 % survival percentage of the Project plantations increased biomass production by 36.51%, reduced the rate of top soil loss and is mitigating climate change.
- 6600 households benefitted by Bio Carbon plantations.
- Rs.1.63 crores earned from the Bio Carbon plantations (carbon sequestration).

Water Harvesting

- 8961 number of Water Harvesting Structures & 241Km of Kuhal constructed.
- 1077602 Cum of pondage developed.
- 6439.38 Ha of irrigation potential utilized.
- Increased water availability has led to diversification of High Value Crops, labour saving & enhanced watershed values.
- Irrigation methods like sprinkler & drip irrigation introduced & adopted by farmers.

Farming System

- Mitigating negative environmental impacts through production of 30,000 MT of vermicompost.
- Increased production of Wheat-14% & Maize- 13%.
- Irrigated area diversified to high value crops 60.4%
- Fodder availability increased by 16.37%.
- Milk yield increased by 11.55%.
- 7733 tarpaulins, 651 rams and bucks provided to nomads under Tribal Action Plan.

Mountain Livelihood

- On farm, Off farm & Service Sector related activities implemented.
- More than 32 livelihood activities implemented by 4174 Common Interest Groups having 47851 beneficiaries.
- 33% of the vulnerable households benefitted under Mountain Livelihood activities.
- 1146 Common Interest Groups clubbed together to form 241 clusters.
- Per capita income of Project increased by 93% and 7% in real terms after offsetting inflation.

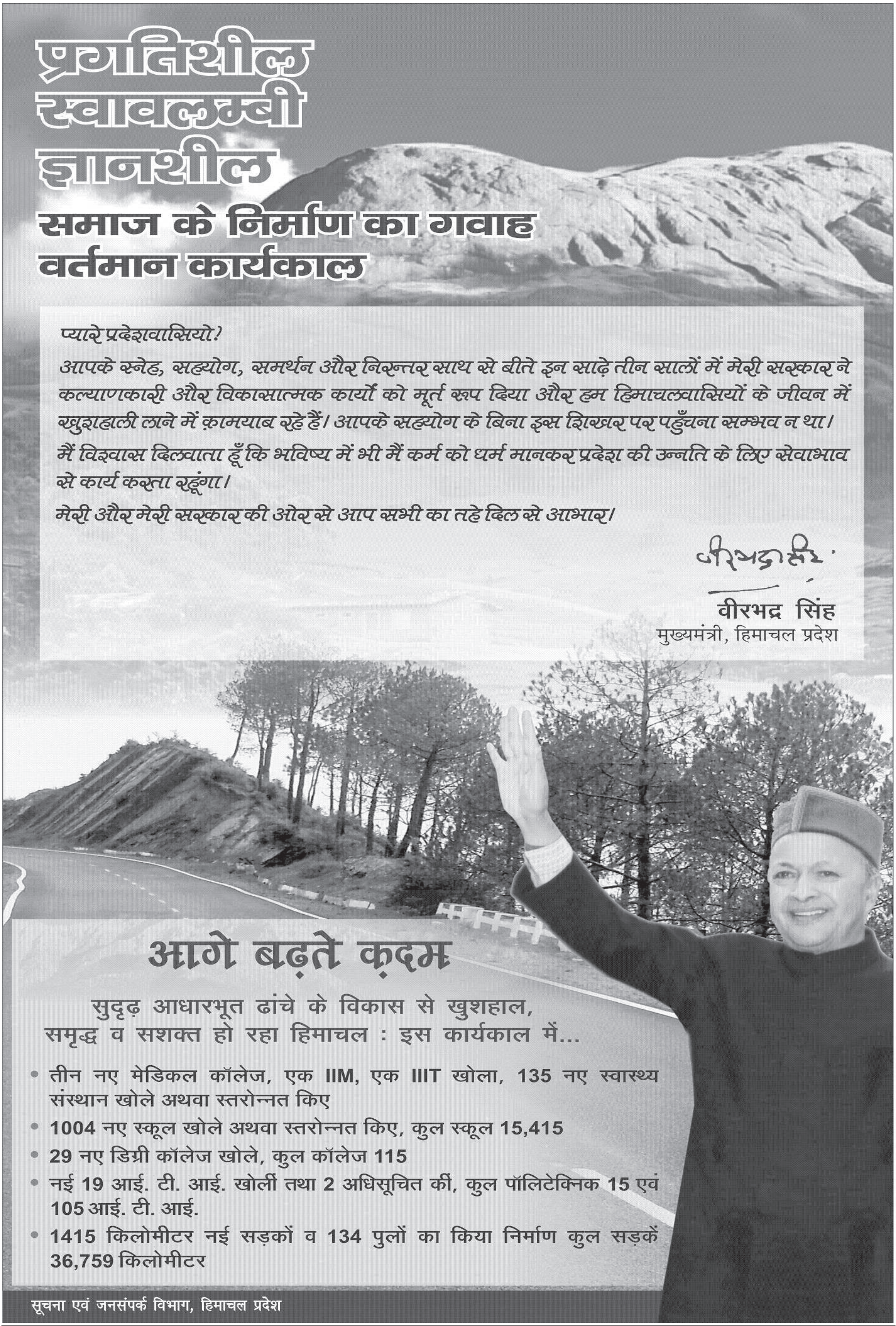

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015